## न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर

अपील संख्या 29/19

1. बृजलाल पुत्र हरिया जाति मीना निवासी ग्राम रायराना तहसील नादौती जिला करौली

अपी0

बनाम

1. केदारलाल
2. गोपालाल
3. भरतलाल — पुत्रान धीरया जातियान मीना निवासीयान रायराना तहसील नादौती जिला करौली
4. तहसीलदार नादौती

रेस्पो0

(अपील विरूद्व निर्णय व डिग्री न्यायालय उप जिला कलेक्टर बामनवास मु0न0 38/17 निर्णय व डिक्री दिनांक 23.5.18 )

उपस्थित अभिभाषक

1. अपी0 की और से श्री राधेश्याम बैष्णव
2. रेस्पो0 की और से श्री सी0एस0गुर्जर

### निर्णय

दिनांक: 19.11.2020

अपील विरूद्व निर्णय न्यायालय उप जिला कलेक्टर नादौती के मु0न0 38/17 निर्णय व डिग्री दिनांक 23.5.18 के विरूद्व पेश की गई है। अपील के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार से है कि अधिनस्थ न्यायालय मे वादी/रेस्पो0 संख्या 1 ता 3 ने एक वाद पत्र घोषणा खातेदारी, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा तहत धारा 88,188, 207 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट इस आशय का पेश किया कि वादीगण के दादा ग्यारसा पुत्र मनफूल के कब्जे व बाडे की भूमि खातेदारी की आराजी साबिक ख0न0 625 रकबा 3 विस्वा किस्म गैर मुमकिन बाडा थी, जो आज तक वादी के कब्जे मे है। जिसमे वादीगण ने संयुक्त रूप से पशुओ को बांधने का बाडा बना रखा है व इस पर वादीगण के दादा ग्यारसा के समय से ही वादीगण के पिता घीस्या व अब वादीगण के कब्जे मे है। उक्त आराजी से किसी अन्य दीगर व्यक्ति का कोई संबंध व वास्ता किसी प्रकार का नही है। वादीगण की आराजी साबिक ख0न0 625 रकबा 3 विस्वा गैर मुमकिन बाडा के हाल सेटलमेंट ने नवीन ख0न0 2151 रकबा 0.92 है0 किस्म गैर मुमकिन आबादी दर्ज किया है। जिसमे अन्य लगते नया न0 614,618,620,622,626,628 ,617,619,621,623 व 6[illegible] नवीन ख0न0 2151 मे सेटलमेंट ने समाहित कर नया न0 2151 कायम किया गया है साबिक ख0न0 625 जो वादीगण के दादा ग्यारसा पुत्र मनफूल जाति मीना निवासी रायराना की खातेदारी भूमि थी जो जमाबंदी सम्वत 2030–33 तक दर्ज है इस प्रकार वादीगण की पैतृक भूमि साबिक ख0न0 625 रकबा 3 विस्वा किस्म गैर मुमकिन बाडा को दौराने सेटलमेंट ने सरकारी भूमि के रूप मे दर्ज कर दिया व भूमिधारक राजस्थान सरकार को कायम कर दिया। यह काम

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2021.01.14 16:48:44 IST
Reason: SelfAttested



Scanned with CamScanner

सेटलमेंट विभाग ने अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर काम किया है जबकि आज दिन तक वादीगण अपने दादा ग्यारसा के समय से ही उक्त पर काबिज है। इस भूमि से प्रतिवादी का कोई संबंध वास्ता किसी प्रकार का नही है। जिसे वादीगण कानूनन दुरूस्त कराने का अधिकारी है। वादीगण आराजी हाल ख0न0 2151 मे से 3 विस्वा अपने कब्जे अनुसार कानूनन खातेदार काश्तकार घोषित करवाने के अधिकारी है व इसी प्रकार अपने राजस्व रिकार्ड मे इन्द्राज दुरूस्त करवाने के अधिकारी है। वाकया दिनांक 22.5.17 का है कि वादीगण अपने बाडे मे अपने पशुओ की देखभाल कर रहे थे कि अचानक प्रतिवादी अपने अधिनस्थ कर्मचारियो के साथ मौके पर आया व कहा कि इस भूमि का भूमिधारक राजस्थान सरकार है। जिसका प्रतिनिधि मे लैण्ड होल्डर तहसीलदार नादौती हूँ व आप लोग इस भूमि को तुरन्त खाली कर दो अन्यथा मै पुलिस प्रशासन लाकर तुम्हे यहॉ से बेदखल कर दूंगा। जब हमने कहा कि इस भूमि पर तो हमारे दादा के समय से ही हम काबिज है व यह हमारे राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है। दिनांक 25.5.17 को वादीगण ने तहसील मे आकर वर्तमान राजस्व रिकार्ड देखा तो पता चला कि यह भूमि अब राज्य सरकार के खाते मे दर्ज है, जो दौराने सेटलमेंट हुई है। वादीगण ने पुराना रिकार्ड तलाश किया जो जमाबंदी सम्वत 2030–33 मे वादीगण के दादा ग्यारसा के नाम साबिक ख0न0 625 रकबा 3 विस्वा किस्म गैर मुमकिन बाडा दर्ज है। परन्तु अब इस साबिक ख0न0 सेटलमेंट विभाग ने नवीन ख0न0 2151 कायम कर आसपास के ख0न0 के साथ नवीन ख0न0 2151 मे समाहित कर दिया है। विनाय दावा वादीगण विरूद्व प्रतिवादी दिनांक 22.5.17 बमुकाम रायसना प्रतिवादी द्वारा भूमि से बेदखल करने की धमकी देने व दौराने सेटलमेंट गलत इन्द्राज होने से पैदा हुआ। इसलिए दावा हाजा पेश करना आवश्यक हुआ जो अन्दर मियाद प्रस्तुत है। दावा बाबत घोषणा खातेदारी व इन्द्राज दुरूस्ती डिक्री किया जाकर हाल ख0न0 2151 रकबा 0.92 है0 किस्म गैर मुमकिन आबादी वाकेतन ग्राम रायसना तहसील नादौती जिला करौली मे से वादीगण के कब्जे मे 3 विस्वा व साबिक ख0न0 625 के अनुसार जो वादीगण के दादा के समय से ही चला आ रहा है प्रतिवादी की वर्तमान खातेदारी से हजफ कर उक्त ख0न0 2151 मे से नवीन नम्बर कायम कर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावे व इसी प्रकार राजस्व रिकार्ड मे इन्द्राज दुरूस्त किया जावे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट बृजलाल द्वारा धारा 96 सी.पी.सी. के प्रार्थना पत्र [illegible] कर अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2021.01.14 16:48:44 IST
Reason: SelfAttested

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर बहस उभयपक्ष अभिभाषको की सुनी गई।



Scanned with CamScanner

अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता ने बहस में अपील मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री विधि विरूद्ध एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यो के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। पुराने ख0न0 625 रकबा 3 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन बाडा दर्ज था, उसके वर्तमान ख0न0 2151 रकबा 0.92 है0 बने है। जो कि गैर मुमकिन आबादी है। इस कारण उक्त भूमि ग्राम पंचायत की है। उक्त भूमि पर अपीलांट का 70 वर्ष से अधिक समय से निरन्तर कब्जा है तथा अपीलांट की पत्नि मीरा को प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत पुख्ता मकान बनाने हेतु राशि स्वीकृत की गई थी तथा उसके कब्जे की भूमि पर मस्ट्रोल जारी की गई थी। इस प्रकार उक्त भूमि आबादी की होते हुए भी अधिनस्थ न्यायालय ने इसे अनदेखा कर प्रत्यार्थीगण की खातेदारी मे दर्ज करने का निर्णय व डिक्री कर दिया है जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। रेस्पो0 1 ता 3 मृतक ग्यारसा के किसी प्रकार के उत्तराधिकारी नही है ना ही मृतक ग्यारसा के वारिसान है। रेस्पो0 ग्यारसा के वारिसान नही है। उन्होने फर्जी वारिसान बनकर दावा गलत तथ्यो पर पेश किया गया है। इस प्रकार मृतक ग्यारसा के वारिसान रेस्पो0 सिद्व नही होते हुए भी अधिनस्थ न्यायालय ने रेस्पो0 को ग्यारसा के वारिसान मानते हुए उक्त भूमि रेस्पो0 की खातेदारी मे दर्ज करने का गलत रूप से निर्णय पारित किया है। जो निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 09.5.18 को तनकीयात कायम कर पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु नियुक्त की गई थी, जिसमे ग्राम न्याय आपके द्वार केम्प ग्राम चिरावडा मे पेश होने हेतु पत्रावली मे दिनांक 23.5.19 को पेशी नियुक्त की थी, जिसमे अपीलांट कोई सूचना नही दी तथा जानबुझकर रेस्पो0 ने अपीलांट को पक्षकार नही बनाया है। जिसकी मौके पर जॉच नही की गई और चुपचाप गोपनीय तरीके से प्रतिवादी से मिलकर गलत निर्णय पारित किया है। जबकि आबादी भूमि की स्वामी ग्राम पंचायत है, जो उक्त प्रकरण मे आवश्यक पक्षकार थी, लेकिन रेस्पो0 संख्या 1 ता 3 ने अपीलांट व ग्राम पंचायत को जानबूझकर पक्षकार नही बनाया है। रेस्पो0 गोपाल ने एक वाद पत्र न्यायालय सिविल न्यायालय श्रीमहावीरजी मे अपीलाट की पत्नि तथा अपीलांट के पिता को पक्षकार बनाकर पेश कर रखा है जो लंबित है। रेस्पो0 ने अधिनस्थ न्यायालय मे वाद स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया था अपीलांधीन भूमि ख0न0 625 पर अपीलांट व उसके परिवार का पिछले 70 वर्ष से अधिक समय से निरन्तर कब्जा चला आ रहा है तथा राजस्व रिकार्ड मे आज भी उक्त भूमि गैर मुमकिन आबादी दर्ज है जो ग्राम पंचायत की भूमि है तथा उसी जगह अपीलांट का कब्जा मानते हुए अपीलांट की पत्नि [illegible] आवास तथा प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत पात्र मानते [illegible] स्वीकृत की है। जो तथ्य भी रेस्पो0 की जानकारी मे पूर्व से ही था। सिविल कोर्ट मे लंबित वाद के इस तथ्य को रेस्पो0 ने छिपाते हुए उक्त वाद पत्र अधिनस्थ न्यायालय से मिलकर गलत रूप से डिक्री करवा लिया जो निरस्त योग्य है। उक्त भूमि मे अपीलांट का आवास बना हुआ है उक्त भूमि सेटलमेंट से पूर्व गेर मुमकिन आबादी सही रूप से दर्ज की है। इस तथ्य को

Signature Not Verified
Digitally signed by Barwari Lal Raman
Date: 2021.01.14 16:48:44 IST
Reason: SelfAttested



Scanned with CamScanner

अधिनस्थ न्यायालय ने अनदेखा किया है। इस कारण अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री विधि विरूद्व होने से निरस्त योग्य है। अपीलांट को इस निर्णय की कोई जानकारी नही थी ना ही अधिनस्थ न्यायालय मे अपीलांट पक्षकार था। अपीलांट को उक्त निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 02.04.19 को पटवारी हल्का द्वारा बताने पर उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी हुई, तब अपीलांट ने नकल हेतु आवेदन किया तथा नकल प्राप्त के उपरान्त राजस्व रिकार्ड की नकले प्राप्त की। इस प्रकार अपील जानकारी दिनांक से अन्दर मियाद पेश है। अतः अपील अपीलांट पेशकर निवेदन है कि आलोच्य निर्णय व डिक्री अधिनस्थ न्यायालय एस डी ओ नादौती दिनांक 23.05.18 अपास्त फरमाया जावे।

रेस्पो0 के विद्वान अधिवक्ता ने जबाब मे तर्क दिया कि रेस्पो/वादीगण के दादा ग्यारसा पुत्र मनफूल के कब्जे व बाडे की भूमि खातेदारी की आराजी साबिक ख0न0 625 रकबा 3 विस्वा किस्म गैर मुमकिन बाडा थी, जो आज तक रेस्पो0 के कब्जे मे है। जिसमे रेस्पो0 ने संयुक्त रूप से पशुओ को बांधने का बाडा बना रखा है व इस पर रेस्पो0 के दादा ग्यारसा के समय से ही रेस्पो0 के पिता घीस्या व अब रेस्पो0 के कब्जे मे है। यह भूमि ग्राम रायसना तहसील नादौती मे स्थित है। उक्त आराजी से किसी अन्य दीगर व्यक्ति का कोई संबंध व वास्ता किसी प्रकार का नही है। रेस्पो0 की आराजी साबिक ख0न0 625 रकबा 3 विस्वा गैर मुमकिन बाडा के हाल सेटलमेंट ने नवीन ख0न0 2151 रकबा 0.92 है0 किस्म गैर मुमकिन आबादी दर्ज किया है। जिसमे अन्य लगते नया न0 614,618,620,622,626,628,617,619,621,623 व 627 भी नवीन ख0न0 2151 मे सेटलमेंट ने समाहित कर नया न0 2151 कायम किया गया है। साबिक ख0न0 625 जो रेस्पो0 के दादा ग्यारसा पुत्र मनफूल जाति मीना निवासी रायसना की खातेदारी भूमि थी जो जमाबंदी सम्वत 2030–33 तक दर्ज है इस प्रकार रेस्पो0 की पैतृक भूमि साबिक ख0न0 625 रकबा 3 विस्वा किस्म गैर मुमकिन बाडा को दौराने सेटलमेंट ने सरकारी भूमि के रूप मे दर्ज कर दिया व भूमिधारक राजस्थान सरकार को कायम कर दिया। यह काम सेटलमेंट विभाग ने अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर काम किया है। जबकि आज दिन तक रेस्पो0 अपने दादा ग्यारसा के समय से ही उक्त पर काबिज है। इस भूमि से अपीलांट का कोई संबंध वास्ता किसी प्रकार का नही है। रेस्पो0 कानूनन दुरूस्त कराने का अधिकारी होने के कारण ही अधिनस्थ न्यायालय मे वाद पत्र प्रस्तुत किया गया था। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वाद मे तनकीयात कायम की जाकर प्रत्येक तनकी का पूर्ण रूप से विवेचन करने के उपरान्त ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। रेस्पो0 द्वारा अधिनस्थ न्यायालय मे पी डब्लू 1 ता पी डब्लू 4 के बयान कलमबद्व कराये जिन्होने रेस्पो0 को बाडा होना स्वीकार किया है तथा हमारे पूर्वजो के समय से कब्जा माना है। वादी/रेस्पो0 द्वारा विवादित आराजीयात की जमाबंदी सम्वत 2030 से 2033 पेश की गई थी। जिसमे ख0न0 625 रकबा 3 विस्वा गैर मुमकिन वाडा की ग्यारसा पुत्र मनफूल के नाम दर्ज रिकार्ड है। अपीलार्थी का आराजी से कोई सम्बन्ध नहीं है। अपील 20.05.2019 को पेश की है। यह

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2021.01.14 16:48:44 IST
Reason: SelfAttested



Scanned with CamScanner

मियाद बहार है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधि अनुरूप निर्णय पारित किया गया है। अतःअपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागणो द्वारा बहस मे प्रस्तुत तर्को पर मनन किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अद्योपान्त अवलोकन किया गया। निर्णय दिनांक 23.05.2018 की अपील दिनांक 20.05.2019 को प्रस्तुत की है। प्रस्तुत तथ्यों के आधार पर न्यायहित में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–5 परिसीमन अधिनियम स्वीकार किया जाता है।

प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड नकल जमाबंदी सम्वत् 2030 से 2033 वाके ग्राम रायसना के खतौनी सं0 70 पर खसरा नम्बर 625 रकबा 3 बिस्वा ग्यारसा पुत्र मनफूल जाति मीना साकिन देह अंकित है। अन्य आराजीयों से सम्बन्धित नामान्तरकरण सं0 82 ग्यारसा पुत्र मनफूल के फौत हो जाने पर घीस्या पुत्र ग्यारसा के नाम उत्तराधिकारी के रूप में खोला गया है। इसके विपरीत कोई दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। पैरोकार सरकार नायब तहसीलदार नादौती द्वारा दिनांक 04.05.2018 का प्रकरण में जवाब प्रस्तुत किया है, जवाब में स्वीकार किया है, कि सैटलमेंट विभागीय कर्मचारीयों की सहवन से साबिक ख0नं0 625 को हाल ख0नं0 2151 रकबा 0.92 है0 किस्म गैर मुमकीन आबादी में मर्ज कर दिया है। वादीगण के दादा ग्यारसा पुत्र मनफूल के समय से ही आज तक उक्त 3 बिस्वा भूमि सायलान के कब्जे में है। जिसमें वादीगण अपने पशु आदि बांधते है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.05.2018 को तनकीवार विवेचन पश्चात पारित किया गया है। इस निर्णय में कोई विधिक त्रुटि दृष्टव्य नहीं होती है। इसलिए अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.05.2018 मे किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अपीलार्थी की अपील खारिज योग्य है।

अतः अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नादौती के मु0नं0 38/2017 निर्णय दिनांक 23.05.2018 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 19.11.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2021.01.14 16:48:44 IST
Reason: SelfAttested

19.11.20
( बी0एल0रमण )
राजस्व अपील प्राधिकारी
राजस्व अपील अधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner